न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर 2023/80

1. कालू पुत्र गोपी
2. गणपतराम पुत्र स्व. गोपी उर्फ गोपाल
3. सुल्तानराम पुत्र स्व. गोपी उर्फ गोपाल
4. मालीराम पुत्र स्व. गोपी उर्फ गोपाल
5. गंगाराम पुत्र स्व. गोपी उर्फ गोपाल
6. बालूराम पुत्र स्व. सुवालाल
7. रामावतार पुत्र स्व. सुवालाल
8. कालूराम पुत्र स्व. सुरजा
9. मोहनलाल पुत्र स्व. सुरजा
10. मुकेश पुत्र स्व. सुरजा
11. बरजी देवी पत्नी स्व. सीताराम
12. महेन्द्र पुत्र स्व. सीताराम
13. मंगली पुत्री स्व. सीताराम
14. मीरा पुत्री स्व. सीताराम

समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम कंवरपुरा, तहसील चौंमू, जिला जयपुर

–अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, चौमू, तहसील चौमूं जिला जयपुर।
2. उपखण्ड अधिकारी, उपखण्ड चौमूं जिला जयपुर।

–रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी चौंमू, जिला जयपुर निर्णय दिनांक 12.11.2021 द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 131/2021 उनवानी राजस्थान सरकार बनाम कालू वगै0 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया गया।

उपस्थित–

1. श्री सुरेश कुमार चाहर, वकील अपीलान्ट
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक –29.01.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी चौंमू जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 12.11.2021 के खिलाफ प्रा.पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 13.02.2023 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि तहसीलदार चौंमू एवं उप तहसीलदार खेजरोली द्वारा प्रशासन गॉवों के संग अभियान 2021 के कैम्प कंवरपुरा में रास्ते संबंधी समस्याओं के निराकरण हेतु ग्राम कंवरपुरा तहसील चौंमू के प्रकरण में मौका निरीक्षण रिपोर्ट, एवं नजरी नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शित भूमि पर मौके पर चालू सार्वजनिक आम रास्ता के रूप में उपयोग में आना बताया जाकर प्रकरण अन्तर्गत धारा 131, 132 राज0

संभागीय आयुक्त
जयपुर

भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण उपखण्ड अधिकारी चौमूं जिला जयपुर को प्रेि ात किया गया। उपखण्ड अधिकारी चौमूं जिला जयपुर द्वारा रिपोर्ट तहसीलदार चौमूं, उप तहसीलदार खेजरोली एवं सरपंच ग्राम पंचायत कंवरपुरा के अवलोकन से मौके पर स्थाई रूप से आम रास्ता चालू होने का समाधान होने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपने निर्णय दिनांक 12.11.2021 को राजस्व ग्राम कंवरपुरा तहसील चौमूं के आराजी खसरा नं0 339, 338, 349, 346, 348, 364 नम्बरों में से रास्ता को राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के आदेश दिये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी चौमूं जिला जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 12.11.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट कालू पुत्र गोपी वगै. द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी चौमूं जिला जयपुर निर्णय दिनांक 12.11.2021 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि राजस्व ग्राम कंवरपुरा, पटवार हल्का नांगलकोजू, भू–अभिलेख निरीक्षक खेजरोली, तहसील चौमूं जिला जयपुर में कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 339, 338, 349, 346, 348, 364 स्थित है जो कि अपीलान्ट के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा अपीलान्ट उक्त भूमियों पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अनुसार काबिज होकर काश्त करते आ रहे है तथा वर्तमान में उक्त भूमियों पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे हैं। अपीलान्ट की कब्जे काश्त की भूमि पर पूर्व में कोई भी रास्ता विद्यमान नहीं होते हुए भी रेस्पोडेन्ट के समक्ष एक फर्द मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें अपीलान्ट के कोई हस्ताक्षर नहीं है जिस पर केवल मात्र पटवारी हल्का, भू–अभिलेख निरीक्षक, वार्ड/सरपंच व दीगर अजनबी व्यक्तियों के हस्ताक्षर है तथा उक्त लोगो ने सरसरी तौर पर हस्ताक्षर करते हुए तहसीलदार चौमूं से रास्ते के लिये अभि ांशा करने की कार्यवाही करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 132 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अपीलान्ट को सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। विधि सुस्थापित व्यवस्था है कि किसी भी निर्णय से प्रभावित होने वाले पक्षकारों/व्यक्तियों को पक्ष समर्थन एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना कोई आदेश पारित किया जा सकता परन्तु फिर भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को पक्ष समर्थन एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित फरमा दिया गया जो प्राकृतिक न्याय एवं न्याय प्रशासन के सर्वमान्य सिद्वान्तों के विपरीत होने की वजह से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने जो आवेदन प्रस्तुत किया है उसमें बिना कोई जांच/कार्यवाही किये बिना ही राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय एवं तहसीलदार चौमूं के समक्ष तथा सरपंच के समक्ष ऐसा कोई आवेदन किसी ग्रामवासी द्वारा प्रस्तुत ही नहीं किया गया, अपना सुविवेक लगाये बिना ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने मौके पर पूर्व से कोई रास्ता विद्यमान नहीं होते हुए भी उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही फर्जी व बनावटी तरीके से की गई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा दीगर व्यक्तियों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से अपीलान्ट की खातेदारी भूमि में कोई रास्ता विद्यमान नहीं होते हुए भी राजस्व कैम्प में लोक अदालत

की भावना से विपरीत खातेदारों की सहमति के बिना उक्त अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है तथा जो फर्द मौका रिपोर्ट बनी है वह भी फर्जी व बनावटी तरीके से बनाई गई है जिस पर अपीलान्ट के कहीं हस्ताक्षर नहीं है ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट होता है कि जो कार्यवाही की गई है उसमें अपीलान्ट के विरूद्ध साजिशी कार्यवाही कर तथाकथित रास्ता दर्ज करवाने की कार्यवाही की गई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 तहसीलदार चौमू ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के समक्ष किस काश्तकार ने प्रार्थना पत्र वास्ते रास्ता दर्ज करवाने बाबत प्रस्तुत किया हो ऐसा कोई प्रार्थना पत्र किसी भी कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत ही नहीं हुआ, जिस कारण भी अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है। अपीलाधीन आदेश में दर्ज रास्ते की किसी भी खातेदार को अथवा ग्रामवासी, ढाणीवासी को कोई आवश्यकता नहीं होते हुए भी मौके पार रास्ता विद्यमान नहीं होते हुए भी अपीलान्ट की खातेदार भूमि को उक्त खसरा नम्बरान की भूमि को विधि विरूद्ध तरीके से गै.मु. रास्ते की भूमि अंकित कर दिया गया, जिससे अपीलान्ट की खातेदारी भूमि की किस्म परिवर्तन हो गई तथा मौके पर कोई रास्ता मौजूद नहीं होने के बावजूद भी गलत तरीके से रिकॉर्ड में अमल दरामद बिना कोई आवश्यकता के किया गया है जिसमें अपीलान्ट को अपूर्तनीय क्षति कारित हुई है जिस कारण भी अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है। अपीलान्ट द्वारा अपनी खातेदारी भूमि पर लोन लेने के लिए दिनांक 23.01.2023 को जमाबंदी की नकल निकलवाई तो राजस्व जमाबंदी में रास्ते का अंकन होना पाया गया जिस पर अपीलान्ट द्वारा राजस्व रिकॉर्ड के संबंध में जांच पडताल की तो आदेश दिनांक 12.11.2021 की जानकारी प्राप्त हुई जिस पर अपीलान्ट द्वारा उक्त प्रकरण की नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 24.01.2023 को अपीलान्ट को प्राप्त होने पर अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत कर दी गई है जिसे पेश करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.11.2021 से अपील पेश करने तक के समय को कन्डोन किया जाने के आदेश करते हुए अपील प्रार्थीगण/अपीलान्ट अन्दर मियाद ुमार फरमाये जाने के आदेश प्रदान करें। अतः अपील मय ापथ पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान जी से निवेदन है अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमूं जिला जयपुर द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 131/2021 उनवानी राजस्थान सरकार बनाम कालू वगै0 में पारित आदेश 12.11.2021 तथ्यों व भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131, 132 क विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से अपास्त फरमाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

6. राजकीय अधिवक्ता ने भी बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि तहसीलदार चौमू एवं उप तहसीलदार खेजरोली जिला जयपुर ने जो रास्ता प्रस्ताव भेजा है उसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि प्रस्तावित रास्ता मौके पर उक्त खसरा नम्बरान में से रास्ता कच्चा के रूप मे दर्ज है एवं मौके पर चालू सार्वजनिक आम रास्ता के रूप में उपयोग मे आ रहा है। मौके की जॉच पश्चात् एवं पटवारी हल्का व भू.अ.निरीक्षक सरपंच ग्राम पंचायत कंवरपुरा प.स. गोविन्दगढ, उपतहसीलदार खेजरोली तथा तहसीलदार चौमूं जिला जयपुर की मौका रिपोर्ट के आधार पर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.11.2021 उपखण्ड अधिकारी चौमूं जिला जयपुर उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपील प्रस्तुत

समाधीन अधिकारी
जयपुर

होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि तहसीलदार चौमू उप तहसीलदार खेजरोली, पटवारी, भू.अ.निरीक्षक एवं सरपंच ग्राम पंचायत कंवरपुरा, प.स. गोविन्दपुरा की मौका फर्द रिपोर्ट अनुसार ग्राम कंवरपुरा, पटवार मण्डल नांगलकोजू तहसील चौमू में आराजी खसरा नम्बरान 338, 339, 340, 346, 348, 349, 363, 364 का मौका सरपंच ग्राम पंचायत/वार्ड पंच एवं खातेदारान की उपस्थिति में देखा गया मौके पर उक्त खसरा नम्बरान में रास्ता सार्वजनिक आम रास्ता के रूप में उपयोग में आ रहा है। मौके पर चालू सडक/रास्ता की जांच की गई व रिकॉर्ड से मिलान किया गया। मौके पर उपस्थित मौतबिरान को फर्द पढकर सुनाई व हस्ताक्षर कराये गये हैं। तहसीलदार चौंमू उप तहसीलदार खेजरोली, पटवारी, भू.अ.निरीक्षक एवं सरपंच ग्राम पंचायत कंवरपुरा, प.स. गोविन्दपुरा की मौका फर्द रिपोर्ट से भी यह स्पष्ट है कि प्रस्तावित रास्ता मौके उक्त खसरा नम्बरान में से रास्ता कच्चा के रूप मे दर्ज है। मौके पर स्थाई रूप से आम रास्ता चालू होने का समाधान होने का समाधान होने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमूं जिला जयपुर द्वारा इस संबंध में राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 राज0 भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 60, 66 व 86 के प्रावधान अनुसार एवं राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांकः प.3(2) राज–6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 के अनुसरण में अनुसार ग्राम कंवरपुरा, पटवार मण्डल नांगलकोजू तहसील चौमू में आराजी खसरा नम्बरान 338, 339, 340, 346, 348, 349, 363, 364 के उक्त आराजी खसरा नं0 (मुताबिक एनेक्सर–1 व नजरी नक्शा ट्रेस) अनुसार भूमि की किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज करने का निर्णय पारित किया गया है इससे खातेदारी अधिकार प्रभावित नहीं होते है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी चौमू जिला जयपुर उचित एवं विधिसम्यक है इसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है एवं अपील स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

अतः आदेश है किः अपील अपीलांट निरस्त की जाती है। तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमू जिला जयपुर का निर्णय दिनांक 12.11.2021 यथावत रखा जाता है।

(डॉ. आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 29.01.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर